न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि जयपुर (१)

प्र.दर्ज 183/2024 नैनूराम बनाम रामलाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/09/24	पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के पत्रांक आरएए/2024/1079 दिनांक 28/08/24 द्वारा अपील अपीलार्थी विड्रो किये जाने से खारिज होने पर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्षों को जरिये अदालती समन सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/09/24 को पेश हो।	
	23/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र बावत् विड्रा किये जाने वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर वाद विड्रा कर खारिज फरमाये हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रजापत द्वारा की गई। प्रार्थी/वादी की प्रार्थना पत्र बावत विड्रा किये जाने वादपत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरांत पक्षकारो के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो जाने के कारण न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा किये जाने	नैनूराम मीणा Id. by 23/9/24

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

_____ बनाम _____

मुकदमा संख्या /वर्ष : _____ /20 _____

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है अतः वादपत्र विड्रो स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से रम हो।